195 192

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सशस्त्र सेना झंडा दिवस

7 दिसम्बर - 7 DECEMBER
ARMED FORCES FLAG DAY

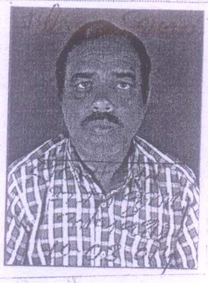

04AA 001900 /14

... अधिनियम 1908 की धारा 46 (1) P20 के अधीन

... भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची 1 या 1 क संख्या 23 - I - A ...

...11/03/14

11-3-14

1· लेख्यकारी :- जफीर आलम वो फिरोज आलम दोनों पिता स्व0 अब्दुल सतार जाति- कलाल , पेशा-व्यापार, निवासी ग्राम-सिमडेगा, थाना सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ।

.. .. .. विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 98, 99, /2014

1·फार्म 60

2·पैन नं0-ए·के·एफ·पी·ए·7596 क्यू·

10-03-14

10·3·14

10·03·2014

पेज नं0 2 ।

265/14

280 dt 20.02.14

कार्यालय जिला कोषागार पदा...
28 FEB 2014

Shashi Prasad
Late Brajendra Pd
R/o Vill- Simdega
Niche Bazar
N. J
20,000=00

10,000 x 1 = 10,000
5,000 x 1 = 5,000
1,000 x 5 = 5,000

Total = 20,000=00
(बीस हजार रुपये)

जाफीर आलम
10.3.14
11-03-2014

11-3-14 10 to 1 ... के बीच
... के प्रधान निबन्धन कार्यालय
सिमडेगा में ... द. ...
... मुख्तार जो सन ...
... संख्या ...
प्रधान ... के जिला ...
निबन्धक द्वारा प्रमाणीकृत है।
श्री / श्रीमती जाफीर आलम (2)
पिता / पति श्री स्व० अब्दुल सत्तार
ग्राम सिमडेगा थाना सिमडेगा
कलाल व्यापार
11/03/14

11.3.14

जिला अवर निबंधक सिमडेगा
जिला–सिमडेगा, झारखण्ड

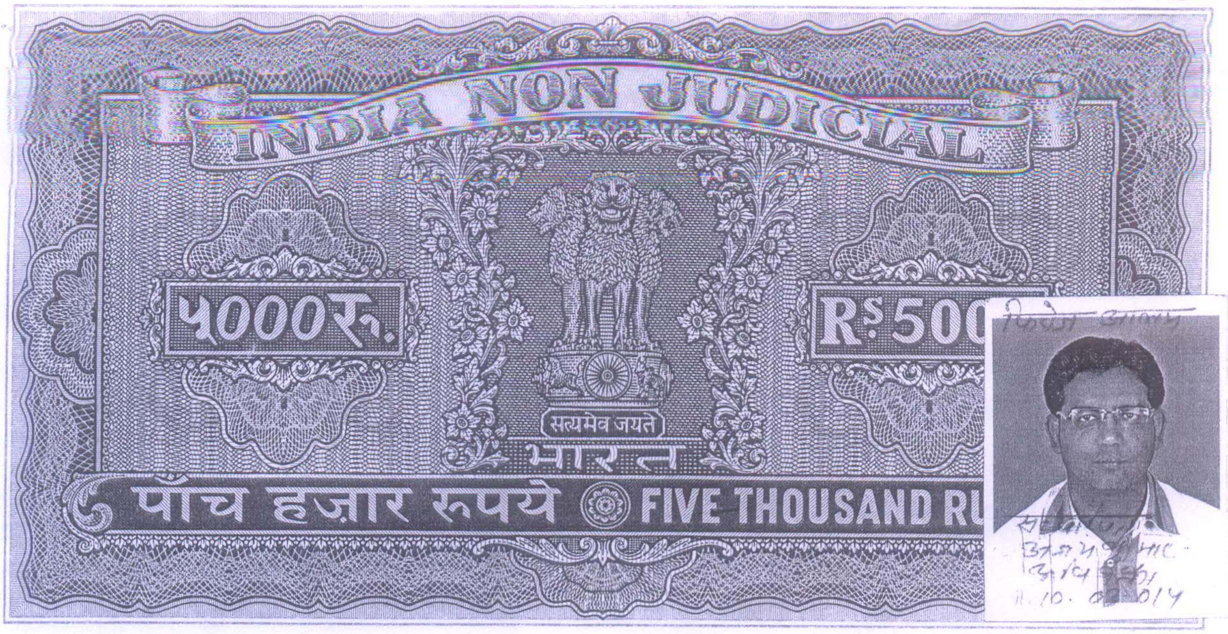

-2-

राजू प्रसाद वो दीनानाथ प्रसाद

2· लेख्यधारी :- शशी प्रसाद वो अमर प्रसाद, सभी पिता स्व0गजेन्द्र प्रसाद जाति-तेली, पेशा-व्यापार, निवासी ग्राम- साहु मोहल्ला सिमडेगा, थाना वो जिला-सिमडेगा (झारखण्ड) .. .. .. क्रेता भारतीय ।

शपथ-पत्र संख्या :- 100,101,102,103 / 2014

1·पैन नं0-सी·एच·पी·पीशपी·2038एच·2·पैन नं·-ए·आई·वाई·पी·के·-1198 एफ, 3;फार्म-60 4·पैन नं·-ए·एन·वाई·पी·पी·-4434 जी·

3· लेख्यप्रकार :- विक्रय-पत्र (केवाला) ।

4· मूल्य :-मोबलिग-2,00 000/=रू0 दो लाख रूपये, जमीन का कीमत एवं उसपर निर्मित पुराना कच्चा मकान ढलाई का कीमत-234000/= रूपया दो लाख चौंतीस हजार रूपये, खापड़ैल मकान , शौचालय -36000/=रू0छत्तीस हजार रूपये एवं एक पुराना कुआँ का कीमत-30000/=रूपया, तीस हजार रूपये ।कुल कीमत -500000/=रू0पांच लाख रूपये, जिसका आधा दो लाख पचास हजार अंके- 250000/=रूपया होता है, जिसका कुल निर्धारित मूल्य-500000/=रू0 होता है ।

Md Firoz Alam 10/03/14

Zarina Khatun Late Sarwar Alam Simdega P.S/Dist Simdega 10-3-14

1000Rs.

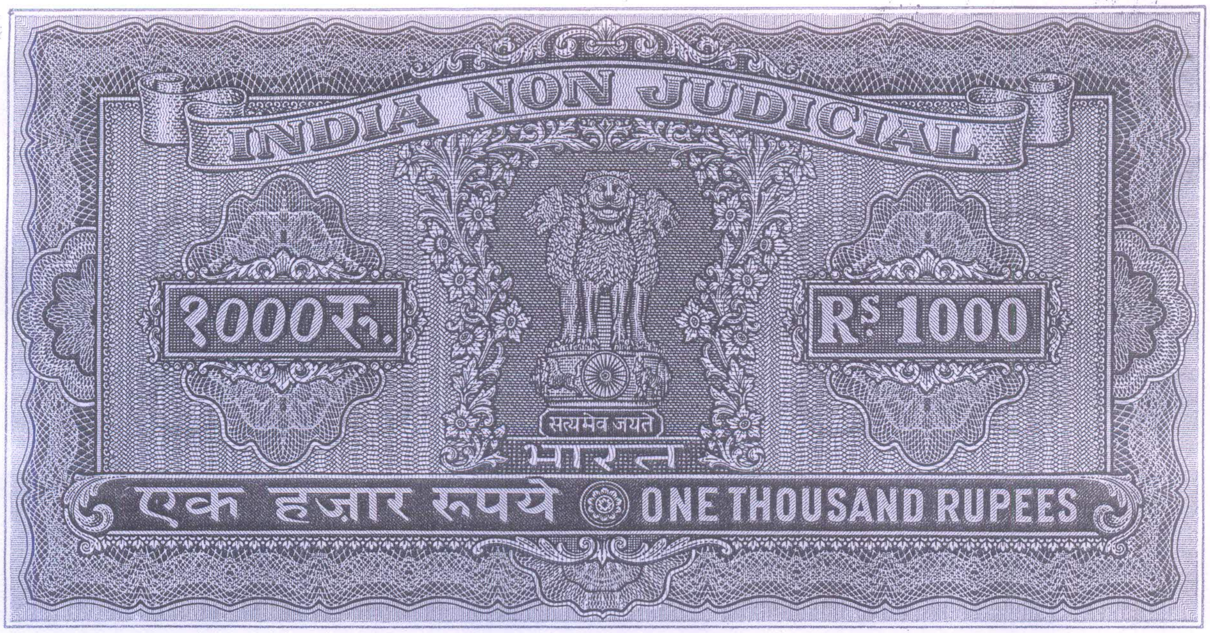

-3-

5· सम्पति :- मौजा सिमडेगा नीचे बाजार, थाना/अंचल-सिमडेगा, जिला अवर निबंधन कार्यालय वो जिला-सिमडेगा, थाना नं0-116 (एक सौ सोलह) हाल खाता नं0-141 (एक सौ एकतालिश) पलाट नं0-490 (चार सौ नब्बे) रकबा 0·05 एकड़ में से 0·01$\frac{1}{4}$ (सवा डिसमिल) दर्जा जमीन आवासीय, जिसपर निर्मित मकान पुराना कच्चा ढलाई 14·6"x24" = 351 वर्ग फीट, पुराना खापड़ैल मकान शौचालय 7x8=56 वर्गफीट, एवं पुराना कुआं 4' Q का, इसके अलावे अन्य कोई निर्माण कार्य या पेड़ पौधा नहीं है। मालगुजारी :-0·01 रु0अलावे सेस सलाने ।

चौहद्दी :-उतर -मकान नीज बिक्रेता
दक्षिण -इसी पलाट का अंश
पूरब -एन0एच0 -143
पश्चिम -खापड़ैल मकान पलाट नं0-489

हमलोग शपथ पूर्वक कहते हैं कि हमलोग बिक्रेता कलाल जाति का है। सरकार के विशेष सचीव झारखण्ड सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक-591 दिनांक-01·03· 2012 ई0 तथा पत्रांक-7/हॉल्डिंग हस्तांतरण नीति 20/2009 दिनांक 19·06·2012 द्वारा दिये सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से किसी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

पेज नं0 4

मो० अफजल आलम पिता अब्दुल सत्तार ग्राम सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा 10/03/14

10·3·14

10/03/14

1000Rs.

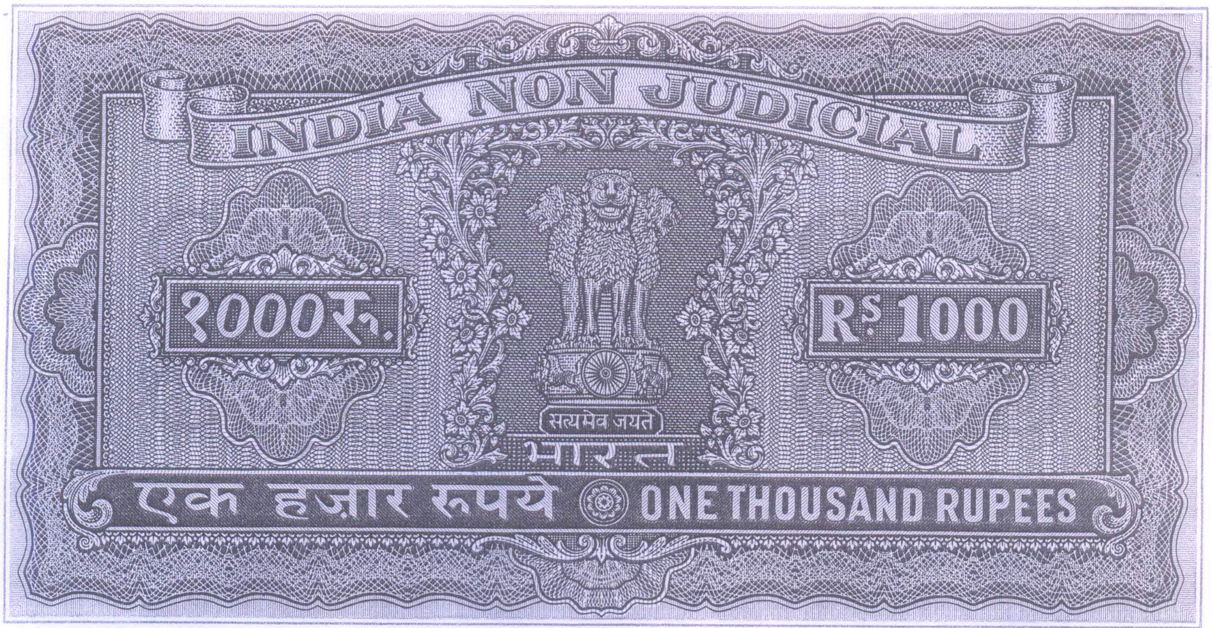

हमलोग घोषणा करते हैं कि बिक्रय वाली जमीन भूहदबन्दी, कैसरेहिन्द, खाश महल, भूदान, सैरात, लीज आम गैरमजरूआ से संबंधित नहीं है ।

(क) चूंकि, हमलोगों कोमकान बनवाने एवं व्यापार में पूंजी लगाने के लिए रूपयों की आवश्यकता हो गई ।और रूपये प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं रहने के कारण हमलोग ने हमारी उपर्युक्त वर्णित सम्पति को लेख्यधारी से खरीद का आग्रह किया जिसे वे स्वीकार किये ।

(ख) अतः हमलोग अपने-अपने स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थ्यता में ऊपर वर्णित सम्पति का पूरा कीमत लेख्यधारी से पाकर जमीन एवं मकान बेच दिया ।तथा इस सम्पति का पूरा अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया ।अब इस सम्पति पर हमारे या हमारे किसी भी उतराधिकारी का न कोई अधिकार रहा और न आईन्दे होगा ।

(ग) हमलोग घोषित करते है कि यह सम्पति हमारी पुरखौती रैयती जमीन है। जिसका जमाबन्दी हमारे दादा मुंशी मियां के नाम कायम है। तथा मालगुजारी की रसीद

पेज नं0 5

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

उनके नाम निर्गत होता आ रहा है ।यह सम्पीत हमें उतराधिकार द्वारा प्राप्त हूई है ।तथा इसपर हमलोगों का निर्विवाद रूप से दखाल कब्जा चला आ रहा है ।और इस पर कोई ऋण या भार नहीं है ।

\[घ\] लेख्यधारियों को उपर्युक्त वर्णित सम्पीत पर दखाल कब्जा दे दिया है अब लेख्यधारी इसे जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे। तथा दाखिल-खारिज अपने नाम करावें और मालगुजारी सरकार को दिया करे ।

इसलिए यह बिक्रय पत्र दस्तावेज लिखा दिया कि समय पर काम आवे और प्रमाण रहे ।

-6-

लेख्यकारी :- हमलोग यह घोषित करते हैं कि यह सम्पति भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है ।तथा इससे संबंधित कोई मामला हमारे विरूद्ध लम्बित नहीं है ।

जफीर आलम 10.3.14

जफीर आलम 10.3.14

Fiaz Alam 10/03/14

Fiaz Alam 10/03/14

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी मो जफीर आलम एवं मो. फियाज आलम ने अपने अपने बाँए हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया ।
अजय कुमार
अधिवक्ता
10.03.014

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RU

-7-

लेख्यधारी :- हमलोग यह घोषित करते हैं कि इस दस्तावेज के द्वारा प्राप्त भूमि के बाद भी हमारे हिस्से में भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक सम्पति नहीं है ।

शशी प्रसाद 10.3.14

राज कुमार प्रसाद
10/3/014

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी शशी प्रसाद, राजु प्रसाद, अमर प्रसाद, शम्भु प्रसाद दीना नाथ प्रसाद ने अपने अपने बाऐं हाथ के पाँचो अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया।
अजय कुमार
अधिवक्ता
10.03.014

शम्भु प्रसाद
10/3/2014

दीना नाथ प्रसाद
10.3.2014

10.3.14

10/03/14

इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा [illegible] किया गया [illegible] तथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वो समझा दिया गया है [illegible] स्वयं भी पढ़कर स्वीकार किये कि सहीहै ।

प्रारूपकर्ता- अजय कुमार
अधिवक्ता 10.03.014
अधिवक्ता, सिमडेगा ।

इस दस्तावेज के कुल 8 पन्नों पर मेरे द्वारा कुल 743 शब्द टंकित किये गये हैं, जो खण्डन रहित है। तथा बिक्रयवाली जमीन का नक्शा संलग्न है। जो इस दस्तावेज का अंश है।

टंकक :- देवनिस बाड़ा
10.3-2014ई०
§ देवनिस बाड़ा §
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा

वाजे रहे कि दस्तावेज के पेज नं0 2 के प्रथम लाईन के ऊपर में राजू प्रसाद वो दीनानाथ प्रसाद टंकित किया गया है, सो सही है।

जमीर आलम
10.3.14

जमीर आलम
10.3.14